



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Phone : 01382- 224570
Fax : 01382- 229847
Email: eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 1297/ वन भूमि

दि० 10/10/18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वनप्रभाग
लैन्सडौन

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा लगायी गयी 11 आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

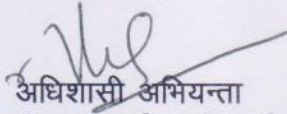
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा 11 आपत्तियों लगायी गयी है। जिसमें से 9 आपत्तियों का निस्तारण याचका विभाग से होना है, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। शेष 2 आपत्तियों का निस्तारण आपके स्तर से होना है।

उक्त मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का बिन्दुवार ऑनलाईन निराकरण निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम सं०	आपत्ति	बिन्दुवार निस्तारण विवरण (ऑनलाई जिस पार्ट में किया गया है)
1	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की recommendation नहीं दी गयी है।	<u>D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u> (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:
2	परियोजना का Geo-referenced map मूल प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	<u>C. Maps of forest land proposed to be diverted</u> (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: परियोजना का Geo-referenced map मूल प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार, व्यासवार सारांश बनाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	<u>Additional information Details</u> बिन्दु सं० 7 में tree in the mastkhal to seeladanda motor road
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रपत्र (पृष्ठ सं०-55) में दिनांक में कटिंग कर संलग्न किया गया है।	<u>Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted</u> मूल प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
5	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण - पत्र (पृष्ठ सं०-60) में पूर्ण सूचना भरकर प्रस्ताव में संलग्न करें	<u>Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted</u> मूल प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण की योजना (पृष्ठ सं०-77) प्रमुख वन संरक्षक द्वारा निर्धारित वर्तमान दसों वर्ष 2018-19 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियों में संलग्न करें।	<u>Additional information Details</u> बिन्दु सं० 13 में C.A Tree Rate By DFO
7	क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण स्थल का Geo-referenced map प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	<u>L. Details of land identified for Compensatory Afforestation</u> (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station:

8	भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट मलवा निस्तारण योजना की जाय। मलवा निस्तारण योजना हेतु soil factor 25 % के स्थान पर 40% का बनाकर संलग्न करे। (पृष्ठ सं०-106)	Additional information Details बिन्दु सं० 14 में Detailed muck disposal plan
9	एन०पी०बी० के आंकलन/संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में हरियाली के सही घनत्व को दर्शाते हुये तदनुसार निर्धारित दरों पर बनाकर पुनः प्रेषित करे। (पृष्ठ सं०-114)	Additional information Details बिन्दु सं० 15 में NPV Rate
10	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-43 पर वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है, जिसमें बांज वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख है।	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही होनी है।
11	इसके अतिरिक्त प्रस्तावक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन कमियों का भी निराकरण किया जाना है।	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही होनी है।

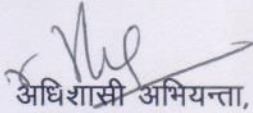
संलग्न:- आपत्तियों का निस्तारण की छायाप्रति।


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
 कोटद्वार (गढवाल)
 दिनांक 10/10/18

पत्रांक 1297 / वन भूमि

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता -प्रथम पी०एम०जी०एस०वाई०सिंचाई खण्ड कोटद्वार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैन्सडौन को संलग्न मूल प्रति उपलब्ध करवाये एवं Form A , part II. में लगी आपत्तियों जिनका निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन से होना है, का निराकरण करवाते हुये इस कार्यालय को सूचित करे।


 अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
 कोटद्वार (गढवाल)